संख्या-10 /2015/317/38-3-2015-16(अधि0)/2012टीसी-।।

प्रेषक,

राम बहादुर,

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2015

विषय:-प्राविधिक अधिकारी पद का ग्रेड वेतन परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-953/स्था0-3/2013-14, दिनांक 22-08-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- ग्राम्य विकास आयुक्त (मुख्यालय) स्तर पर पूर्व में प्राविधक सहायक/प्राविधिक प्रशिक्षक के नाम से 04 पद उपलब्ध थे, जो खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग के थे, जिन्हें शासनादेश संख्या-5465/38-1-67एलसी/88, दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 द्वारा प्राविधिक अधिकारी के पदनाम से परिवर्तित किया गया था।

3- उक्त 04 पदों में से 01 पद प्राविधिक अधिकारी (विधि) को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-252/38-1-04-58एलसी/2003 दिनांक 20 जनवरी, 2004 द्वारा वेतनमान रू0 8000-13500(सादृश्य ग्रेड वेतन-5400) अनुमन्य कराते हुए सहायक आयुक्त (विधि) पदनाम दिया गया। शेष 03 पद लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध हैं। इस पद पर नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी के पद से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा होती है।

4- चूंकि प्राविधिक अधिकारी का पद प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नत द्वारा भरा जाता है अत: उपलब्ध 03 प्राविधिक अधिकारी के पद को ग्रेड वेतन रू0 4800 में इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत करते हुए निम्नवत् भर्ती प्रक्रिया तथा ग्रेड वेतन प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया
	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	
प्राविधिक अधिकारी	रू0 9300-34800	4800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।

5- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्तानुसार ग्रेड वेतन में परिवर्तन तथा भर्ती प्रक्रिया में संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

7- यह शासनादेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 की अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-244/दस-2015, दिनांक 25 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव

संख्या-10/317(1)/38-3-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।